भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2116
15 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी संस्थाओं द्वारा "बैंक" शब्द का प्रयोग

2116: एडवोकेट ए.एम. आरिफ

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है की सहकारिता को संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल किया गया है और उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह फैसला सुनाया है कि सहकारी सभाएं राज्य विधान सभाओं की विधायी शक्ति के अंतर्गत आती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से सहमत है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में केरल राज्य सहित देश में सहकारी ऋण समितियों को उनके नाम के साथ 'बैंक' शब्द का उपयोग करने और जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है जो राज्य विधान सभाओं की विधायी शक्ति पर अनुचित हस्तक्षेप है और संघवाद की भावना के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आरबीआई को पहले से जारी दिशानिर्देशों और परिपत्रों को वापस लेने का निर्देश देगी और भविष्य में सहकारी क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर राज्यों की विधायी शक्ति को कम करने से सम्बन्धित नए दिशानिर्देश जारी करने से भी रोकेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) जी हाँ ।

(ख) एवं (ग) बैंकिंग भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघीय सूची में शामिल है। इसलिए, आरबीआई ने कुछ सहकारी समितियों के द्वारा उनके नाम में "बैंक" शब्द का

उपयोग करने तथा गैर-सदस्यों/नाममात्र के सदस्यों/एसोसिएट सदस्यों से जमा राशि स्वीकार करने, जो कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम, 1949) के प्रावधानों के उल्लंघन में बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने के समान है, के सम्बन्ध में लोगों को सावधान करने हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है ।

चेतावनी नोटिस का उद्देश्य क़ानून के उल्लंघन को रोकना है और इसे जनहित में जारी किया गया है ।

******